कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के लेखा परीक्षित लेखों के आधार पर, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वित्त की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करती है। प्रतिवेदन को पांच अध्यायों में संरचित किया गया है।

अध्याय 1 - अवलोकन: यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण एवं अंतर्निहित आंकड़े का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजट प्रक्रियाओं, प्रमुख संकेतकों के वृहत राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का अवलोकन प्रस्तुत करता है।

अध्याय 2 - राज्य के वित्त: यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तन, पिछले पांच वर्षों के दौरान समग्र रूझान, राज्य की ऋण रूपरेखा और राज्य के वित्त लेखे पर आधारित प्रमुख लोक लेखे लेनदेन का विश्लेषण करता है।

अध्याय 3 - बजटीय प्रबंधन: यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों और राज्य सरकार के विनियोग और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा पर आधारित है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के विचलन को रिपोर्ट करता है।

अध्याय 4 - लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार: यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन के विषयों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय 5 - सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग: यह अध्याय सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) में वे सरकारी कंपनियाँ और ऐसी सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियाँ शामिल हैं, जिनमें राज्य सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष:

राजकोषीय स्थिति

घाटा संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन सरकार के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रमुख मानदंड है।

राज्य को 2021-22 में ₹ 6,944 करोड़ का राजस्व आधिक्य हुआ। मार्च 2022 के अंत में राज्य का राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. का 0.72 प्रतिशत था।

वास्तविक आंकड़ो पर पहुंचने के क्रम में, स्पष्ट देनदारियों के आस्थगन के प्रभाव, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करने, नई पेंशन योजना में कम योगदान आदि जैसी अनियमितताओं को बदलने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा के उपरान्त, यह देखा गया कि राजस्व आधिक्य में अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति ₹ 332.86 करोड़ से हुई थी। इसी प्रकार वित्त लेखों में राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा ₹ 6,943.94 करोड़ और ₹ 2,604.21 करोड़ बताया गया जो वास्तव में क्रमशः ₹ 6,611.08 करोड़ और ₹ 2,937.07 करोड़ होता।

(अध्याय-1)

राज्य के वित्त

2021-22 के दौरान, राज्य का राजस्व व्यय कुल व्यय का 85.28 प्रतिशत था, जिसका 44.41 प्रतिशत वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन पर व्यय किया गया था। वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन पर किया गया व्यय 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का 39.99 प्रतिशत था।

पूँजीगत व्यय 2020-21 में ₹ 8,466 करोड़ के विरुद्ध 2021-22 के दौरान ₹ 9,377 करोड़ था। पूँजीगत व्यय में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर सात प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं पर 14 प्रतिशत अधिक व्यय के कारण हुई।

31 मार्च 2022 को समाप्त राज्य के वार्षिक लेखे के अनुसार, सरकार ने नवम्बर 2000 में राज्य के गठन के बाद से ₹ 2,250.22 करोड़ का निवेश (सरकारी कम्पनी, ग्रामीण बैंक तथा सहकारी संस्थाओं) में किया था। इन निवेशों पर प्रतिफल 2021-22 के दौरान शून्य था जबकि सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान उधार पर 5.76 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

निवेश के अलावा, सरकार द्वारा अपने संस्थाओं को ऋण के रुप में दी गई बड़ी राशि (₹ 24,348 करोड़) मार्च 2022 के अंत तक बकाया थी।

कुल राजकोषीय देनदारियाँ (कुल ऋण), जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के जगह प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, 2020-21 में ₹ 1,07,496 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 1,10,998 करोड़ हो गई। एम.टी.एफ.पी के लक्ष्य 33 प्रतिशत के विरुद्ध राजकोषीय दायित्व का स.रा.घ.उ. से अनुपात 30.57 प्रतिशत था। समग्र बिहार राज्य की राजकोषीय दायित्वों का विभाजन अब तक उत्तराधिकारी राज्यों बिहार और झारखण्ड के बीच नहीं किया गया है।

सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) के गठन के पश्चात से कोई ब्याज नहीं दिया, जो 2011-12 से 2021-22 की अवधि के लिए लागू दर पर ₹ 870.85 करोड़ होता है। ब्याज का भुगतान न करने से राज्य के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ा। आगे, सरकार ने वर्ष के दौरान ह्रास निधि में ₹ 200 करोड़ का अंतरण किया।

(अध्याय-2)

बजटीय प्रबंधन

2021-22 के दौरान, अनुदानों के अंतर्गत ₹ 22,515.81 करोड़ (कुल बजट का 22.16 प्रतिशत) की कुल बचत अनुचित बजट अनुमान का सूचक थी। इसके अलावा, इन अनुदानों में पिछले चार वर्षों के दौरान सतत कुल बचत ₹ 8,138.75 करोड़ से ₹ 14,685.90 करोड़ के बीच थी।

वर्ष के दौरान 49 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) में कुल ₹ 8,369.35 करोड़ (57.22 प्रतिशत) के पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया।

वर्ष 2001-02 से 2020-21 तक के अनुदान/विनियोग से अधिक राशि के ₹ 3,473.63 करोड़ के अधिक संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी तक नियमित नहीं किया गया है। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान एक विनियोग (13-ब्याज भुगतान) और एक अनुदान (15-पेंशन) में ₹ 288.86 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

(अध्याय-3)

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार

मार्च 2022 तक एकत्रित ₹ 664.19 करोड़ राशि का श्रम उपकर को 2021-22 के दौरान श्रम कल्याण बोर्ड में स्थानांतरित नहीं किया गया

जिससे संबंधित वर्षों के दौरान (2008-22) राजस्व अधिशेष में अत्योक्ति हुई और राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई। वित्तीय वर्ष के पश्चात् जून 2022 में राज्य द्वारा ₹ 154 करोड़ बोर्ड को हस्तांतरित किया गया।

31 मार्च 2022 तक, ₹ 1,03,459.14 करोड़ राशि के 39,064 उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी) बकाया थे।

31 मार्च 2022 तक ₹ 6,094.45 करोड़ की राशि के 18,206 ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध डी.सी. विपत्र बकाया थे।

अव्ययित शेष राशि (₹ 2,018.13 करोड़) का लम्बे समय तक पी.डी. खाते में पड़े रहना तथा समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं होना न केवल वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि लोक निधि के दुरूपयोग, गबन तथा दुर्विनियोजन के जोखिम को बढाता है।

(अध्याय-4)

सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग

सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एसपीएसई) थे। इनमें से 16 एसपीएसई ने लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। 30 सितंबर 2022 तक, दो एसपीएसई ने वर्ष 2021-22 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया, आठ एसपीएसई ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया और छह एसपीएसई ने वर्ष 2019-20 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया था।

इन एसपीएसई का कारोबार 2019-20 में ₹ 5,553.53 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹ 5,045.76 करोड़ हो गया।

राज्य डिस्कॉम द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बिजली की खरीद के विरुद्ध देय बकाया राशि 2017-18 में ₹ 2,879.25 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 4,909.49 करोड़ हो गई। भारत सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार, चूंकि, झारखंड सरकार बिजली खरीद के लिए बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, अत:, भारत सरकार द्वारा आरबीआई में झारखंड सरकार के खाते से ₹ 2,845.50 करोड़ डेबिट किए गए थे।

(अध्याय-5)